न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड, आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ.केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्रमाकरोडा

रा.प्रा.पत्र संख्या 40 / 2018

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
उमरावकुंवर धर्मपत्नि वगतसिंहजी जाति राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी मांकरोडा		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :-
1- प्रार्थीया की ओर से वकील श्री जितेन्द्रसिंह देवडा
2- अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही

रा.प्रा.पत्र अन्र्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 22-6-2018

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अन्र्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 10-3-2017 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि ग्राम मीरपुर पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही जिला सिरोही मे प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी मय कुंआ आया हुआ है जिसकी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के अनुसार निम्न प्रकार है :-

खाता नंबर	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
238 (नया)	275	0.0100 हेक्टेयर	गै.मु.चाह
182 (पुराना)	276	1.6100 हैक्टेयर	बारानी
	कुल किता 02	कुल क्षैत्रफल 1.6200 हैक्टेयर	

उपरोक्त कृषि आराजी की प्रार्थीया खातेदार कृषक है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मय कुंआ की वर्णित आराजी के पूर्वी दिशा मे खसरा नंबर 274 की सिवाय चक वर्णित आराजी आई हुई है जो अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है एवं उक्त आराजी से लगता पूर्वी दिशा मे सार्वजनिक आम रास्ता खसरा नंबर 267 मे दर्ज है। प्रार्थीया की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर आने जाने हेतु तथा मवेशी ट्रेक्टर बैलगाडी इत्यादि के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है। उक्त वर्णित आराजी व कुंऐ पर आने जाने हेतु तथा मवेशी ट्रेक्टर बैलगाडी इत्यादि आने ले जाने के लिये पिछले कई वर्षो से खसरा संख्या 267 दर्ज सार्वजनिक आम रास्ते से लगती खसरा नंबर 274 की सिवाय चक भूमि मेसे उत्तरी दिशा के किनारे (लोर) के सहारे सहारे अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 276 व 275 मे पिछले कइ वर्षो से उक्त भाग को रास्ते के रूपमे निरन्तर व निर्बाध रूप से से उपयोग व उपभोग करती आ रही है। उक्त रास्ते की आराजी को संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड (...) "ए"से "बी" से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शे को प्रार्थना पत्र का अंग समझा जावें । उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता विकल्प नही है। प्रार्थीया द्वारा

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page No 2

उपयोग किया जा रहा है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शे मे इन्द्राज नही होने से प्रार्थीया को आवागमन हेतु समस्या का सामना करना पड रहा है। जिससे प्रार्थीया को खसरा नंबर 276 व 275 की वर्णित आराजी मे आने जाने व ट्रेक्टर मवेशी व बैलगाडी खेती के संसाधन हेतु रास्ता 15 फीट चौडाई मे लाल स्याही डोटेड(...) ए" से "बी" भाग तक लंबाई मे रास्ता चाहती है तथा उक्त भाग को रास्ता घोषित कर उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाना चाहतीी है। जिससे प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अनुरूप श्रीमान के कार्यालय मे पेश किया है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर मौजा मीरपुर पटवार हल्का धान्ता के खसरा नंबर 276 व 275 की वर्णित आराजी मे आने जाने हेतु संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से डोटेड (...)"ए"से "बी" भाग जो अप्रार्थी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज खसरा नंबर 274 मे दर्शाया गया है जो करीब 15 फीट चौडाई मे रास्ता घोषित कर उसका राजस्व रेकर्ड मे जमाबंदी व नक्शे मे इन्द्राज व तरमीम करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा मीरपुर पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता नंबर 238 खसरा नंबर 275 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गै.मु.चाह व खसरा नंबर 276 रकबा 1.6100 हेक्टेयर किस्म बारानी अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही)के जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 01 राजस्थान सरकार के खसरा नंबर 267 रकबा 0.3500 हेक्टेयर किस्म रास्ता व खसरा नंबर 274 रकबा 2.2000 हेक्क्टेयर किस्म पहाड गै.मु. नक्शा किश्तवार प्रार्थीया का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से आश्वस्त होने से दिनांक 16–3–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर उक्त नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया तथा पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया ।

आज दिनांक 22–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मांकरोडा मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान प्रार्थी व उनके वकील श्री जितेन्द्रसिंह तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार /सिरोही उपस्थित हुयें । तहसीदार/सिरोही ने मौके एवं रेकर्ड के आधारित मौके की तथ्यात्मक रिर्पोट पेश की जिसको शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार/सिरोही ने उक्त मौके की तथ्यात्मक रिर्पोट मे यह कथन किया कि मौजा मीरपुर के खसरा नंबर 275 व 276 के खातेदार उमरावकुंवर पत्नि वगतसिंह जाति राजपूत सा. देह माकरोडा तहसील सिरोही के खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु सिवायचक खसरा नंबर 274 मेसे रास्ते की मांग करने पर मौका निरीक्षण किया गया । मौके पर प्रार्थीया राजपूराखेडा से होते हुये मीरपुर के रास्ता खसरा नंबर 258 व 267 का उपयोग कर अपनी आराजी मे 274 सिवाय चक भूमि मेसे होकर आना जाना करती है। प्रार्थीया के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 275 व 276 के दक्षिण दिशा मे 274 सिवायचक भूमि बारानी I आयी हुयी है। जिनमे 274 के उतरी मेड के सहारे सहारे आना जाना करती है। प्रार्थीया द्वारा 15 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई है। मौके अनुसार रास्ता 267 से प्रार्थीया के खेत तक 136मीटर लंबाई मे व 5 मीटर चौडाई मे रास्ता सिवायचक खसरा

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

नंबर 274 मेसे दिया जा सकता है। उक्त 136 मीटर लंबाई व 5 मीटर चौडाई मे रास्ता दिये जाने पर कुल 680 वर्गमीटर क्षैत्रफल बनता है अर्थात 0.0680 हैक्टेयर भूमि रास्ते के अधीन आने वाली भूमि 680 वर्गमीटर अर्थात 0.0680 हेक्टेयर की कीमत रूप्ये 19670/– वसूल योग्य है। चूंकि मौके पर आने जाने की सुविधा हेतु प्राथीया को रास्ता दिया जाना उचित है।

हमने विचारण प्रकरण मे वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर गंभीरता से मनन किया ।विचारण सम्पूर्ण प्रकरण की पत्रावली मय प्रार्थनापत्र मय राजस्व रेकर्ड प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी की उक्त जमाबंदीयॉ ,प्रतियों नक्शा किश्तवार व जवाब/मौका की तथ्यात्मक रेकर्ड आधारित रिर्पोट अप्रार्थी तहसीलदर,सिरोही द्वारा पेश किया उसका भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थीया ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त राजस्व रेकर्ड व नक्शानुसार अप्रार्थी राजस्थान सरकार के खातेदारी भूमि खसरा नंबर मौके अनुसार रास्ता 267 से प्रार्थीया के खेत तक 136मीटर लंबाई मे व 5 मीटर चौडाई मे रास्ता सिवायचक खसरा नंबर 274 मेसे दिया जा सकता है। उक्त 136 मीटर लंबाई व 5 मीटर चौडाई मे रास्ता दिये जाने पर कुल 680 वर्गमीटर क्षैत्रफल बनता है अर्थात 0.0680 हैक्टेयर भूमि रास्ते के अधीन आती है। जिसकी ग्राम मीरपुर की वर्तमान डी.एल.सी.दर 2,93,670/– रूपये हैक्टेयर है। रास्ते के अधीन आने वाली भूमि 680 वर्गमीटर अर्थात 0.0680 हेक्टेयर की कीमत रूप्ये 19670/– वसूल योग्य है। चूंकि मौके पर आने जाने की सुविधा हेतु प्राथीया को रास्ता दिया जाना उचित है।

प्रस्तावित मार्ग (रास्ता) प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पहुॅचने का नजदीकी व उचित है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि कम कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया को अपनी खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी,ट्रेक्टर ,बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थीया द्वारा मांगी गई उक्त जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अत :अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त मौके अनुसार रास्ता 267 से प्रार्थीया के खेत तक 136मीटर लंबाई मे व 5 मीटर चौडाई मे रास्ता सिवायचक खसरा नंबर 274 मेसे दिया जा सकता है। उक्त 136 मीटर लंबाई व 5 मीटर चौडाई मे रास्ता दिये जाने पर कुल 680 वर्गमीटर क्षैत्रफल बनता है अर्थात 0.0680 हैक्टेयर भूमि रास्ते के अधीन आने वाली भूमि जिसकी ग्राम मीरपुर की वर्तमान डी.एल.सी.दर 2,93,670/– रूपये हैक्टेयर है। रास्ते के अधीन आने वाली भूमि 680 वर्गमीटर अर्थात 0.0680 हेक्टेयर की कीमत रूप्ये 19670/– वसूल योग्य है। चूंकि मौके पर आने जाने की सुविधा हेतु प्राथीया को रास्ता दिया जाना उचित है।प्रस्तावित

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 4

रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। उक्तानुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थी द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा ।उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार/सिरोही को आदेश दिये जाते हैः–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसीलदार /सिरोही द्वारा प्रस्तावित प्रार्थीया को अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त मौके अनुसार रास्ता 267 से प्रार्थीया के खेत तक 136मीटर लंबाई मे व 5 मीटर चौडाई मे रास्ता सिवायचक खसरा नंबर 274 मेसे दिया जा सकता है। उक्त 136 मीटर लंबाई व 5 मीटर चौडाई मे रास्ता दिये जाने पर कुल 680 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है अर्थात 0.0680 हैक्टेयर भूमि रास्ते के अधीन आने वाली भूमि रास्ते के अधीन आने वाली भूमि जिसकी ग्राम मीरपुर की वर्तमान डी.एल.सी.दर 2/93 /670/– रूपये हैक्टेयर है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि 680 वर्गमीटर अर्थात 0.0680 हेक्टेयर की कीमत रूप्ये 19670/– वसूल योग्य है। चूंकि मौके पर आने जाने की सुविधा हेतु प्राथीया को रास्ता दिया जाना उचित है।

उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की गई भूमि की कीमत तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार/सिरोही को अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) की खातेदारी की उक्त अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक उक्त राजस्व रेकर्ड व नक्शानुसार खातेदारी भूमि उक्त रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की गई है को उक्त रास्ते की भूमि कम की गई आराजी को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 22–6–2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र मांकरोडा मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हा

22/6/18
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 22–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया ।

22/6/18
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सिरोही (राज०)